संक्षिप्त

मदन यादव प्रदेश सचिव बने

पावटा। प्रदेशाध्यक्ष मदन यादव और कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र यादव द्वारा ग्राम लाडाकाबास मदन यादव व टसकोला जीतू हुल्डा को राजस्थान युवा यादव महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव व डॉ.सुरेंद्र यादव पावटा को प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नरेंद्र यादव एडवोकेट कुनेड को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। प्रदेशाध्यक्ष मदन यादव और कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र यादव ने मदन यादव व जीतू हुल्डा को प्रदेश सचिव एवं डॉ.सुरेंद्र यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष,नरेंद्र यादव एडवोकेट कुनेड को कानूनी सलाहकार बनने पर समाज के युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया। अपनी नियुक्ति पर मदन यादव व जीतू हुल्डा एवं डॉ.सुरेंद्र यादव, नरेंद्र यादव ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने संगठन के प्रत्येक सदस्य के साथ मिलकर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। वही उन्होंने राजस्थान युवा यादव महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव का हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए कहा कि हम पर विश्वास जताते हुए ज्यों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। यह दायित्व हमारे लिए केवल एक पद नहीं, बल्कि समाज सेवा का एक पवित्र अवसर और प्रेरणा का स्त्रोत है। यादव समाज के उत्थान, एकता और प्रगति के लिए मैं पूरी निष्ठा, समर्पण और उत्साह के साथ निरंतर कार्य करेंगे। हमारा समाज सदैव संगठन, शिक्षा और जागरूकता के मार्ग पर आगे बढ़े यही हमारा संकल्प है।

हेल्प डेस्क गठित

दौसा। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान आईटी सम्बन्धित सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन एवं सम्पादन करने के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क आईटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने इस कार्य के लिए सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक राधेश्याम बैरवा को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं प्रोग्रामर अशोक मीना तथा प्रशान्त शर्मा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया है। साथ ही, सहायक प्रोग्रामर जगमोहन मीना, योगेश पारीक, निहाल सिंह गुर्जर, भावेश शर्मा एवं लोकेश मीना को हेल्प डेस्क सदस्य नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क आईटी की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ईआरओ स्टॉफ एवं बीएलओ की तकनीकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा।

ग्रामीणों में खुशी की लहर

निवाई। 69 वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स क्रीडा प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतुर्भुजपुरा की 5 छात्राओं व एक छात्र का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल राजेश बैरवा व शारीरिक शिक्षक सिकंदर खान ने बताया कि 19 वर्ष में नीतू जाट ने डिस्कस थ्रो व शॉट पुट में प्रथम स्थान प्राप्त किया व 17 वर्ष में रितु जाट ने डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान किया व शॉट पुट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अक्षिता चौधरी ने डिस्कस थ्रो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया व अजीत चौधरी ने 3000 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया व अंतिम लांबा ने 14 वर्षीय एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

टोंक । पीपलू थाना क्षेत्र के गुडा रामदास गांव में सोमवार शाम को अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, हादसे के बाद गुस्साऐं परिजनो व ग्रामीणो ने शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पंहुची पीपलू थाना पुलिस की समझाईश पर देर रात्रि को प्रदर्शनकारीयों की मांगों पर सहमति बनने पर शव को पीपलू अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपलू क्षैत्र के बगड़वा पंचायत के गांव गुड़ारामदास में सोमवार शाम को एक अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौटरसाईकिल सवार अम्बालाल निवासी जोधपुरिया के मनहोरपुरिया के सीने के ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया निकलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसकी सूचना मिलने के बाद ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक को पकड़ने के लिए 3 किमी दूर तक पीछा किया लेकिन वह अन्धेरा को फायदा उठाकर ट्रैक्टर को छोड़कर भाग छूटा।

ग्रामीणों ने ट्रैक्टर-ट्रोली को घटना

गुडा रामदास गांव में अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत के बाद परिजनों को ग्रामीणों ने संभाला ।

■ परिजनों की मांगों को लेकर ग्रामीणो ने किया प्रदर्शन

स्थल पर वापस लाकर खडा कर रोड किनारे धरने पर बैठ गए।

प्रदर्शकारियों ने मृतक के आश्रित को 50 लाख की सहायता राशि देने व सरकारी नौकरी देने तथा गांव में पुलिस चौकी खोलने की प्रमुख मांगे रखकर धरना प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलने के बाद पीपलू थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से समझाए की लेकिन वे नहीं माने। बाद में पुलिस द्वारा मशक्कत कर 5 घंटे बाद सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक प्रयास कर सहायता राशि दिलाने व इत्यादी मांगो के आश्वासन देने पर ग्रामीण व परिजन शव उठाने पर सहमत हुए। सहमति के बाद पुलिस ने शव को पीपलू अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया दिया।

सखी-वन-स्टॉप सेंटर का निरीक्षण

टोंक। मुख्यालय स्थित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान वहां आश्रित महिलाओं के शयनकक्ष की जांच में बेडशीट साफ नहीं मिली, जिससे सुधार के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सेंटर में उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी ली।

न्यायाधीश जलुथरिया ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निर्भया योजना के तहत संचालित वन स्टॉप सेंटर्स का निरीक्षण करने मिले निर्देश जिले के सखी सेंटर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने रजिस्टर संधारण, चिकित्सा, परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड जांचते न्यायाधीश जलुथरिया ने कहा कर्मचारी पीड़ित महिलाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार रखें, उनकी गोपनीयता बनाए रखें और हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी महिला को विधिक सहायता की आवश्यकता हो, तो बिना किसी देरी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक कार्यालय को सूचना दी जाए, ताकि समय पर मदद सुनिश्चित की जा सके।

फर्जी फिजियोथेरेपिस्ट के विरूद्ध कार्यवाही की मांग

अलवर। अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथैरेपिस्ट जिला अलवर अध्यक्ष डॉ. सचिन अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पिछले लम्बे समय से अलवर जिले में बीना डिग्रीधारक फिजियोथेरेपिस्ट बन कर मरीजों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे है। यह

■ झोलाछाप फिजियोथैरेपिस्ट बनकर होम विजिट कर रहे है

झोलाछाप फिजियोथैरेपिस्ट बनकर अपना क्लिनिक चला रहे है, होम विजिट कर रहे है तथा कई चिकित्सालयों में फिजियोथैरेपिस्ट बनकर इलाज भी कर रहे है । ज्ञापन की गंभीरता को समझते हुए सीएमएचओ अलवर ने अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी कार्यकारिणी से एसोसिएशन में रजिस्टर्ड क्लीनिकों तथा फिजियोथेरेपिस्ट की सूची मांगी जिससे जल्द ही एसोसिएशन उपलब्ध करा देगी।

'गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को निर्धारित समय में त्रुटिरहित पूर्ण करावे'

अलवर । जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज उपखण्ड अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं कोर्ट केसेज में लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं कोर्ट केसेज में लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों में सीमाज्ञान, नामांतरण, विभाजन, गिरदावरी इत्यादि की विस्तृत समीक्षा कर इन्हें नियमित तौर पर समयबद्ध निस्तारित कराने के निर्देश दिये तथा फार्मर रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन एवं लघु सिंचाई गणना में प्रगति बढाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने उपखण्डवार कोर्ट केसेज में 10 वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणों एवं 5 वर्ष से अधिक के प्राथमिक डिक्री के प्रकरणों की वस्तुस्थिति का फीडबैक लेकर 31 दिसम्बर तक 50 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) के प्रकरणों, धारा 251ए के तहत रास्तों के प्रकरणों एवं तीन माह से अधिक के धारा 136 के लंबित प्रकरणों की आगामी दो माह में इन्हें डिस्पोज कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिये कि एनएफएसए पोर्टल 2025 के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर लंबित आवेदनों को त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा। 4 नवबंर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर गणना प्रपत्र के वितरण एवं संठाहण का कार्य होगा। 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज रहेगा जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने ईआरओ को निर्देशित किया कि एसआईआर के कार्य को प्राथमिकता में रखते हुए टीमवर्क के रूप में कार्य कर निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि बीएलओ एप पर मतदाताओं की मैपिंग कार्य पर विशेष फोकस रखकर आगामी 7 दिवस में पूर्ण करावे। उन्होंने निर्देशित किया कि वॉलेंटियर्स एवं हेल्पडेस्क कार्मिकों का गहन प्रशिक्षण कराकर एसआईआर गाइडलाइन की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें तथा हैल्पडेस्क पर किए जा रहे कार्य की फील्ड विजिट कर प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिये कि अधिक से अधिक गणन पत्रों को ऑनलाइन भरवाना सुनिश्चित करें।

विजेताओं को पुरस्कृत किया

निवाई। पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राहोली में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानकों के महत्व से अवगत कराना और उनकी लेखन क्षमता को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने उक्त विषय पर गहराई से विचार व्यक्त किया और अपने लेखों के माध्यम से मानक लेखन की कला में उत्कृष्टता दिखाई। प्रतियोगिता के विजेता रही टीना चौधरी, भावना सैनी, गुंजन कंवर व अनिता मीणा को प्राचार्य डॉ. योगेंद्रसिंह नरूका द्वारा सम्मानित किया गया। प्रभारी दिनेशकुमार बैरवा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों ने मानक लेखन की तकनीकों को सीखा व अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया। विजेताओं के लेखों को उनके विचारों की स्पष्टता, संरचना और मौलिकता के लिए सराहा गया। प्रतियोगिता से विद्यालय के विद्यार्थियों के बीच मानकों के प्रति जागरूकता का एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न हुआ।

फिर सात दिन बाद बीसलपुर बांध का गेट खोला

टोंक। जिले में स्थित बीसलपुर बांध का फिर 7 दिन बाद एक गेट खोला गया है, जिससे प्रति सेकंड 3005 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोडा जा रहा है। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से एक बार फिर इस सीजन में दूसरी बार मंगलवार गेट नंबर 10 को एक गेट खोल दिया है। इसी के साथ एक बार फिर बनास नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है।

■ इससे पहले इस सीजन में 24 जुलाई को पहली बार इस बांध का गेट खोलकर पानी निकासी की थी।

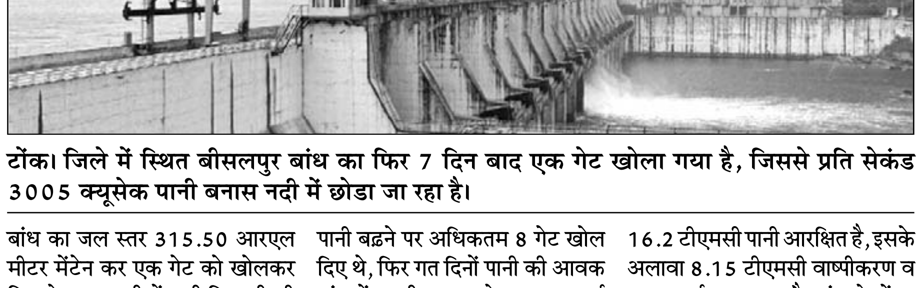

टोंक। जिले में स्थित बीसलपुर बांध का फिर 7 दिन बाद एक गेट खोला गया है, जिससे प्रति सेकंड 3005 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोडा जा रहा है।

बीसलपुर बांध परियोजना अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि बांध का जल स्तर 315.50 आरएल मीटर मेंटेन कर एक गेट को खोलकर फिर से बनास नदी में पानी निकासी की जा रही है। इससे पहले इस सीजन में 24 जुलाई को पहली बार इस बांध का गेट खोलकर पानी निकासी की थी। फिर पानी बढ़ने पर अधिकतम 8 गेट खोल दिए थे, फिर गत दिनों पानी की आवक बांध में काफी कम पड़ने पर 21 जुलाई को इसके सभी गेट 90 दिन में बंद कर दिए थे। इस बांध से जिले में सिंचाई के लिए 8 टीएमसी पानी, पेयजल के लिए 16.2 टीएमसी पानी आरक्षित है, इसके अलावा 8.15 टीएमसी वाष्पीकरण व अन्य खर्च माना गया है। बांध ये टोंक, अजमेर, जयपुर जिलों में पेयजल के लिए रोजाना करीब एक हजार एमएलडी पानी बांध से जाता है।

बसों की छतों पर सामानों को लेकर यात्रा करने पर पाबंदी

जयपुर। जयपुर जिले के मनोहरपुर में मंगलवार सुबह बस में करंट और फिर आग लगने के बाद परिवहन विभाग ने एक कदम उठाते हुए बसों की छतों पर सामानों को लेकर यात्रा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने इस बारे में मंगलवार की शाम से विशेष नो लगेज अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मनोहरपुर में हुआ हादसा जयपुर आरटीओ सेकंड के क्षेत्राधिकार में हुआ। इस हादसे के बाद जयपुर के आरटीओ प्रथम कार्यालय ने जयपुर शहर में बसों की छतों पर ओवरलोडिंग करने पर रोक लगा दी है। मंगलवार की शाम से जयपुर में नो लगेज अभियान शुरू किया गया। इसके तहत अब बसों के संचालक बसों की छतों पर सामान नहीं रख सकेंगे। आरटीओ की ओर से कहा गया है कि मनोहरपुर में हुए हादसे के बाद इस अभियान को तत्काल लागू करने का निर्णय लिया ।

कलेक्टर ने लंबित राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा की

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को उपखण्ड अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं कोर्ट केसेज में लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व संबंधी प्रकरणों एवं कोर्ट केसेज में लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व प्रकरणों में सीमाज्ञान, नामांतरण, विभाजन, गिरदावरी इत्यादि की विस्तृत समीक्षा कर इन्हें नियमित तौर पर समयबद्ध निस्तारित कराने के निर्देश दिये तथा फार्मर रजिस्ट्री के रजिस्ट्रेशन एवं लघु सिंचाई गणना में प्रगति बढाने के लिए

जिला कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

निर्देशित किया। उन्होंने उपखण्डवार कोर्ट केसेज में 10 वर्ष से अधिक के लंबित प्रकरणों एवं 5 वर्ष से अधिक के प्राथमिक डिक्री के प्रकरणों की वस्तुस्थिति का फीडबैक लेकर 31 दिसम्बर तक 50 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) के प्रकरणों, धारा 251ए के तहत रास्तों

■ 31 दिसम्बर तक 50 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिये

के प्रकरणों एवं तीन माह से अधिक के धारा 136 के लंबित प्रकरणों की आगामी दो माह में इन्हें डिस्पोज कराने के लिए निर्देशित किया।

जिला कलेक्टर ने निर्देश दिये कि एनएफएसए पोर्टल 2025 के आवेदनों की स्थिति की समीक्षा कर लंबित आवेदनों को त्वरित निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ने कहा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है, जिसमें 28 अक्टूबर से 3 नवबंर 2025 तक प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्र के मुद्रण का कार्य होगा।

आम सूचना

मैं मेरी अभिभाष्या फर्म श्री गणेश ऑयल मिल्स, जी-31, रीको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़- रेनवाल, जिला जयपुर 303603 जरिये भागीदार हीरालाल कुमावत पुत्र श्री दुलाराम के हिदायत एवं निर्देशानुसार हर खास- आम को सूचित करता हूँ कि मेरी अभिभाष्या फर्म की संपति जी 31, रीको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर 303603 से संबंधित असल दस्तावेजात 1. अलाटमेन्ट लेटर दिनांकित 23.10.1990 2. पट्टा समझौता दिनांकित 29.01.1991 3. विक्रय इकरारनामा दिनांकित 22.02.1996 4. हस्तान्तरण पत्र दिनांकित 16.09.1996 कहीं गुम हो गये है जो काफी प्रयास के उपरान्त भी नही मिले है। यदि मेरी अभिभाष्या फर्म की उक्त संपति के उपरोक्त असल दस्तावेजात किसी को भी मिलते है तो निवेदन है कि मेरे मोबाइल नं. पर सूचित करे। आमजन को यह भी सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या फर्म की उक्त संपति के संबंध मे किसी भी अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था, निकाय, कंपनी इत्यादि किसी से भी प्रकार का क्रय-विक्रय या किसी भी प्रकार का सव्यवहार नहीं करे। यदि मेरी अभिभाष्या फर्म की उक्त संपति के संबंध मे कोई अन्य किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय या किसी भी प्रकार का सव्यवहार करता है तो इसके समस्त परिणामो के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा। उसमे मेरी अभिभाष्या फर्म की कोई जिम्मेवारी नही होगी। सूचित रहे।
हेमन्त सैनी एडवोकेट 98876-62156

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्पति प्लाट नम्बर 7/H/IV-29 सैक्टर-7 विद्याधर नगर जयपुर में पूर्वमुखी स्थित है जिसका क्षेत्रफल 223.44 वर्गमीटर है, जिसके स्वत्व बाबत एडीजे-7 जयपुर महानगर द्वितीय के द्वारा मु. बउनवानी आरुषी उर्फ लीया बनाम राजेन्द्र कुमार शर्मा में आदेश दिनांक 20.08.2025 के जरिये प्रोफेक्टस केपिटन प्रा.लि. की कार्यवाही से सम्पति की वास्तविक स्वामी आरुषी बाध्य न होने एवं उसकी जानकारी में नहीं होना अवधारित करते हुये टीआई संख्या 291/25 में आदेश दिनांक 22.08.2025 के जरिये उपरोक्त सम्पति के मौके एवं रिकार्ड यथास्थिति स्थगन पारित है, जो प्रभावी है जिससे कोई भी व्यक्ति/कम्पनी/विभाग न्यायालय के आदेशों की अवहेलना व अवमानना नहीं करें तथा उक्त सम्पति के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें अन्यथा इसमें होने वाले समस्त हर्जे खर्चे एवं परिणामों के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
दिनांक-28.10.2025 दिनेश शर्मा, एडवोकेट (राजस्थान उच्च न्यायालय) मो. 9119127788

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य जितेन्द्र चौधरी पुत्र श्री लाला राम जाति जाट निवासी नयागॉव तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान जो कि दिनांक 16.10.2025 को दूदू आये थे जिनका बैंग जिसमें असलदस्तावेज तीन चैक बुक जो खाली चैक हस्ताक्षरशुदा एसबीआई बैंक शाखा दूदू, बैंक ऑफ बडोदा शाखा दूदू आरएमजीबी बैंक शाखा पडासोली के व 10 खाली स्टाम्प पेपर जो हस्ताक्षरशुदा रखे हुए थे जो दूदू पुलिया के पास गिर गया है असलदस्तावेज का बैंग किसी व्यक्ति को मिले तो मेरे अभिभाष्य को संभला देवे। खाली हस्ताक्षरशुदा चैक व स्टाम्प पेपरों का दुरूपयोग नहीं करें अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होंगे यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा खाली चैको का व स्टाम्प पेपरों का दुरूपयोग किया जाता है तो मेरा अभिभाष्य कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। सूचित रहें।
शिवराम शर्मा, एडवोकेट, दूदू

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोफिया स्कूल के सामने घाटगेट जयपुर
पिन कोड 302003
क्रमांक-F-52/DC/KPZ/2025/1341 दिनांक 27.10.25
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता ह कि श्रीमति रहमत बानों पत्नि स्व. श्री अब्दुल रहमान ने प्लाट नं. 57 पेन्टर कॉलोनी नाहरी का नाका शास्त्री नगर जयपुर का कच्ची बस्ती, के तहत पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र के साथ उपंजीकृत हक त्याग पत्र व स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पति का स्वयं का क्षेत्रफल 96.48 वर्गगज का पट्टा चाहा है। उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी व्यक्ति सरकारी/गैर सरकारी संस्था, मालिकों या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मं अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त, किशनपोल जोन, नगर निगम जयपुर (हैरिटेज)

उदघोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 34/2025
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
हिमांशु जोशी एवं पुत्र श्री जगत बन्धु जोशी जाति-ब्राह्मण, सुजाता भारद्वाज पत्नी श्री ओमेन्द्र भारद्वाज स्व. जगतबंधु जोशी फ्लैट नंबर टी-727, ब्लॉक बी-07 अजमेर रोड नियर महिंद्रा SEZ आशियाना उमंग जयपुर (राज.) निवासी सी-375-ए प्रधान मार्ग मालवीय नगर जयपुर
मृतक जगत बंधु जोशी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 02.12.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम जगत बंधु जोशी पुत्र परमानंद जोशी जाती ब्राह्मण निवासी फ्लैट नंबर टी-727, ब्लॉक बी-07 अजमेर रोड नियर महिंद्रा SEZ का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02 माह 12 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 14 माह 10 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
मोहर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रं.स. 10, जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांक-एफ-56()सि.ला.जो./ननिज/2025/1720
दिनांक-27.10.2025
अनापत्ति आमंत्रण सूचना
भूखण्ड संख्या 27-बी, धुलेश्वर गार्डन, सी-स्कीम, जयपुर क्षेत्रफल 202.22 वर्गगज द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.09.1957 को श्री बिरदा पुत्र श्री नानू ने क्रय किया था। श्री बिरदा की मृत्यु दिनांक 22.01.1979 को हो गई। तत्पश्चात श्री बिरदा के वारिसानों द्वारा विपिन यादव को हक त्याग किया गया। उक्त हक त्याग के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा श्री विपिन यादव पुत्र श्री गोविन्द सहाय यादव के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त पट्टे के संबंध में आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मं सात दिवस में आपत्ति पेश करें अन्यथा सात दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड में पट्टे की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/801
चूंकि प्रार्थी श्री MAHENDRA BILONIYA 24, DUSAD NAGAR SECOND, BEHIND KOHINOOR CINEMA, SANGANER, JAIPUR RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास रैदासामृतस्य सत्यम स्वामी ध्यान शून्यम सर्वमंगलम फाउन्डेशन Plot No. 24, DUSAD NAGAR SECOND KOHINOOR CINEMA KE PICHE, SANGANER, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 09.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 17.12.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 98/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री असरार अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी दीन मोहम्मद रोड वार्ड नम्बर 06 सीकर राजस्थान332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास अमर ट्रस्ट, खालिद मंजिल, मौहल्ला सुलतानशाह, वार्ड नम्बर 22, सीकर के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 16.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नानगराम शर्मा से बदलकर राजेश कुमार कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-ग्राम चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान

मैंने मेरा नाम अब्दुल मजीद खान से बदलकर अब्दुल मजीद पुत्र श्री अब्दुल रशीद रख लिया है। भविष्य में मुझे अब्दुल मजीद के नाम से जाना जावें। पता 4022 निंदड रावजी का रास्ता, 3 क्रोस, चांदपोल बाजार, जयपुर राजस्थान

मैं राम सेवक विश्वकर्मा पिताजी आर्मी नं.14688716M रैंक HAV निवासी गांव तिवारी मरहटिया गढ़वा, झारखण्ड ने अपने पुत्र के सर्विस रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि 25.01.1960 से बदलकर 01.01.1961 कर दिया है।

मैं शारदा देवी माताजी आर्मी नं. 14688716M रैंक HAV निवासी गांव तिवारी मरहटिया गढ़वा, झारखण्ड ने अपने पुत्र के सर्विस रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि 23.05.1965 से बदलकर 01.01.1970 कर दिया है।

I Monish Joshlani S/o Sh. Prakash Joshlani residing at Flat No. 315 MohinaHeritag, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan-302039. I have changed my name from Manish Prakash Jashlani to Manish Joshlani. In Future I will be known by my changed name

विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय... उपखण्ड अधिकारी.... स्थान... कि.रेनवाल...
नानूराम विरूद्ध मंगलचन्द वगैरह
वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 81सन् 2021
नाम पूनम कंवर पुत्री स्व. अमरसिंह जाति दरोगा श्रवणी पुत्री मेवाराम जाति जाट निवासी कि. रेनवाल, तहसीलदार कि.रेनवाल जिला जयपुर राज. विरूद्ध वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 29.10.2025 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 27 माह 10 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
आज्ञा से-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, रेनवाल जिला जयपुर

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/264 दिनांक: 17.10.2025
ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 27/2025-26
नगर निगम ग्रेटर जयपुर के विभिन्न वाहनो/मशीनों में वीटीएस/जीपीएस लगाये तथा इनका रखरखाव व संधारण कार्य हेतु पंजीकृत फर्म्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट के UBN No. JMC2526SSOB01821 पर देखी जा सकती है।
उपायुक्त (गैराज) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/12816

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
क्रमांक F-JDA/Zone 07/2025/D-9
आम सूचना
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 28786 दिनांक 08.09.2020 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
	SUBHASH SHARMA RAMPHOOL SHARMA	श्री रामजी लाल कोली पुत्र श्री पून्या कोली	A349	75.25SQ METER	Private	VAISHALI ESTATE VISTAR	Name Transfer	लीजडीड, पंजीकृत विक्रय पत्र, वाद विवाद शपथ पत्र

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से7 दिवस के भीतर jda rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति सबमिट करें अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक :- जसअ/2025/261 दिनांक: 17.10.2025
-: : **ई-निविदा सूचना संख्या 63/2025-26** : :-
नगर निगम ग्रेटर जयपुर की ओर से विद्युत कार्य हेतु नगर निगम ग्रेटर जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के अनुसार श्रेणीवार EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेब साईट http://eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in पर निम्न UBN No. JMC2526WSOB01820 पर देखा जा सकता हैं।
इच्छुक संवेदकों को ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक हैं।
अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/12818